प्रकरण संख्या 65/2020 केवाराम बनाम मंदिर मूर्ति खाखलदेव जी बोरिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोरिया में वादी श्री खाखलदेव जी का देवरा आराजी नंबर 86 में है, जिसका क्षेत्रफल 3 बिस्वा है। इस देवरे की डोली की भूमि आराजी नंबर 85 रकबा 10 बिस्वा है। संवत 2012 खतौनी बन्दोबस्त में खाता संख्या 19 आराजी नंबर 85 किस्म डोली क्षेत्रफल 10 बिस्वा खातेदार श्री खाखलदेव जी स्थान देह मा., कृषक हरजी, कसना, माना, काना पिता खेमा डांगी सा. देह, देवा वल्द भीमा मीणा सा. रावतपुरा पुजारी तथा विशेष विवरण में माफी पूजनार्थ अंकित है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में उनके वारिसान का नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में से श्री खाखलदेव के नाम का अंकन गलत रूप से हटाकर कना, लखा, वेलू, रती पिता पेमा डांगी का नाम अंकित किया है, जबकि इस नाम वल्दियत के व्यक्ति गांव बोरिया में नहीं हैं। बोरिया गांव में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम वल्दियत के व्यक्ति हैं, जिन्होंने वादग्रस्त भूमि को अपनी भूमि में मिलाने की बदनियती से धमकियां दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी श्री मंदिर मूर्ति खाखलेदव जी को वादग्रस्त आराजी नंबर 85 रकबा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के सहमति के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 08.07.2015 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 16.10.2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 5 की ओर से वकील श्री अभिमन्यु जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 9 की ओर से वकील श्री ल[illegible] पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:34 IST
Reason: SelfAttested

कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय मृतक प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसकी जानकारी दिनांक 08.09.2015 को होने पर उक्त निर्णय को अपास्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में चाराजोही की गयी, किन्तु दिनांक 17.08.2020 को उक्त आवेदन निरस्त कर दिया गया। बाद में कोविड–19 के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जिसकी सूचना अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र में भी दी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने जिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की थी, उन्हें आगामी पेशी पर पूर्व आदेश अपास्त किये बगैर उपस्थिति दर्शाकर बाद डिक्री करने में सहमति होना दर्शा निर्णय पारित कर नियमों एवं प्रक्रिया की गम्भीर अवहेलना की है। राजस्व लोक अदालत में सभी पक्षकारों की सहमति से निर्णय पारित किया जाता है, किसी भी एक पक्षकार के असहमत होने पर उसे लोक अदालत में निस्तारित करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2015 निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को विधिक सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:34 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट

सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.04.2015 को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये, किन्तु अपने पूर्व आदेश को बिना अपास्त किये दिनांक 08.07.2015 को उनकी उपस्थिति दर्शाकर एवं उनकी सहमति दर्शाकर वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट के पिता रूपा की मृत्यु दिनांक 17.05.2015 को हो चुकी थी, जो उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रूपा के मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2015 को वाद डिक्री किया गया है। अर्थात मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी की गयी है, जिसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजस्व लोक अदालत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो वाद डिक्री किया गया है, वह प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:34 IST
Reason: SelfAttested